भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 557

दिनांक 5 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई–बीआरसी जारी करना

557. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंकों द्वारा इलैक्ट्रोनिक–बैंक भुगतान प्रमाण–पत्र (ई–बीआरसी) जारी करने में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(ख) क्या ई–बीआरसी जारी करने में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) बैंकों द्वारा इलेक्ट्रानिक बैंक वसूली प्रमाण–पत्र (ई–बीआरसी) अपलोड करने में विलंब के कुछ मामले समय–समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय के ध्यान में लाए गए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सभी बैंकों को निम्नलिखित आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए कहा गया हैः

i. पोतलदान बिलों के लिए विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होते ही इलेक्ट्रानिक बैंक वसूली प्रमाण–पत्रों को जारी करना।

ii. इलेक्ट्रानिक बैंक वसूली प्रमाण–पत्रों को डीजीएफटी सर्वर और आरबीआई के निर्यात आंकड़ा संसाधन तथा निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) पर एक साथ अपलोड करना।

****